संख्या– 410 /26–ब0प्र0–2012–21(बजट)/2007

प्रेषक,

एन.एच. रिजवी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांक: 25 अक्टूबर, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 मे स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

भारत सरकार के पत्र संख्या–जी–24011/4/2012–यूपीए, दिनांक 07.05.2012 2012–13 में आवंटित केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1125/26/72/एक/2012–13, दिनांक 07.08.2012 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–83 में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस0जे0एस0आर0वाई0) अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लाभर्थियों हेतु धनराशि रू0 525.225 लाख (रू0 पांच करोड़ पच्चीस लाख बाईस हजार पांच सौ मात्र) की राज्यांश की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ0प्र0(सूडा)/नोडल एजेन्सी व्यय/धनराशि जारी करने के पूर्व आश्वस्त हो लेगी कि योजना में भारत सरकार से समन्वय कर केन्द्रांश का आवंटन (एलोकेशन) प्राप्त हो गया है एवं योजना के अद्यावधिक संशोधनों/परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में सदुपयोग व योजना की अद्यावधिक दिशा–निर्देशों के अनुरूप कियान्वयन गुणवत्तापूर्ण ढंग से नोडल एजेंसी/सूडा द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

2– उक्त अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसके लिए निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ उत्तरदायी होगें। किसी प्रकार का व्ययावर्तन अनुमन्य न होगा ।

3– उक्त धनराशि कोषागार के माध्यम से आहरण के पश्चात् यथा समय सम्बन्धित इकाईयों को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करो की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

4– उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा ।

5– प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा) उ0प्र0 इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय ।

6– इस धनराशि का यथा समय/यथा निर्देश उपयोग के पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी ।

7– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों की मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखें से अवश्य करायेगें।

8– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेगें कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक व दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

2– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"2230–श्रम तथा रोजगार–आयोजनागत–02–रोजगार सेवाएं–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें –0101–स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना हेतु अनुदान (राज्यांश)–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3–1163/दस–2012 दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(एन.एच. रिजवी)
उप सचिव ।

संख्या– 410 (1)/26–ब0प्र0–2012–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),प्रथम, 20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– निदेशक (ई एण्ड पी0ए0) भारत सरकार, नई दिल्ली ।
3– निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद ।
4– सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
5– वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ ।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7– वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग–1 /वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3
8– नियोजन –1 व 4/नगर विकास (कम्प्यूटर कक्ष) वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
9– गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(एन.एच. रिजवी)
उप सचिव ।